

## संक्षिप्त

## महंगाई के विरोध में किया प्रदर्शन

उदयपुर, (कासं)। पेट्रोल, डीजल एवं रसोई गैस की कीमतों तथा विकराल होती महंगाई के विरोध में उदयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के बी ब्लॉक के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को देहलीगेट चौराहे पर आनंदी स्मारक के बाहर केन्द्र व राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व बी ब्लॉक अध्यक्ष अजय सिंह ने किया। इस दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आमजन पर बढ़ती महंगाई का विरोध जताया तथा पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ी हुई कीमतों तकला बापस लेने की मांग की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि जिस प्रकार हर दो-तीन दिनों के अंतराल में पेट्रोल एवं डीजल के दामों में लगातार वृद्धि की जा रही है, उससे आम जनता, मध्यम वर्गीय परिवारों एवं गरीब वर्ग पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है। बढ़ती महंगाई के कारण लोगों का घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है। वक्ताओं ने कहा कि यदि यही स्थिति बनी रही तो आम आदमी का जीवन और अधिक संकटपूर्ण हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने सरकार से मांग की कि पेट्रोल, डीजल एवं गैस की बढ़ी हुई कीमतों को कम कर आमजन को महंगाई से राहत प्रदान की जाए।

## बंदी के खिलाफ मामला दर्ज

उदयपुर, (कासं)। जेल में कारापाल के साथ अभद्रता करने वाले बंदी के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीडित सत्येन्द्र कुमार पुत्र लक्ष्मण निवासी नयावास बसेड़ी धोलपुर हॉल कारापाल केन्द्रीय कारागृह उदयपुर ने बंदी शशी भारती पुत्र रामा भारती के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया। जिसमें पीडित ने बताया कि आरोपी ने जेल से स्थानान्तरण कराने की रिपोर्ट दी थी। 128 मई को जेल में ड्यूटी के दौरान इसको लेकर बातचीत करने के दौरान आरोपी ने वदी खींच कर राजकार्य में बाधा की।

## सड़क हादसे में युवक की मौत

उदयपुर, (कासं)। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार हादसे से प्रतापनगर रोड़ पर टाटा शोरूम के सामने गुरुवार रात में डिवाइडर से बाईक टकराने पर घायल हुए लखपुरा पेंवार बिहार हाल भुवाणा (32) निवासी प्रीतम सिंह पुत्र सिकंदर सिंह को निजी चिकित्सालय में भर्ती करवाया। जहां उसकी मौत हो गई। प्रीतम सिंह मधुदूरी करता था एवं रात में बाइक पर मादड़ी से प्रतापनगर की तरफ आ रहा था। जहां बीच रात घटना स्थल पर हादसा हो गया। इस पर एएसआई सुरजलाल मीणा ने मृतक का पोस्टमार्टम करवा शव परिवजनों को सौंप दिया।

## पानी में डूबे युवक का शव मिला

उदयपुर, (कासं)। शहर के घंटाघर थाना क्षेत्र दुधलाई में शुक्रवार सवेरे युवक को शव पानी में होने की सूचना मिलने पर एएसआई धमेन्द्रसिंह ने मौके पर पहुंच कर सितल डिफेंस टीम को मदद से मृतक को बाहर निकाल शिनाख्गी नहीं होने पर शव को एम्बी चिकित्सालय मोचरी में रखवाया। मृतक को उम्र करीब 45 वर्ष बल्यू धातदार सफेद टाइट पहने हुए।

## ऑनलाईन सट्टा खेलते पांच दबोचे

उदयपुर, (कासं)। जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन के निर्देश पर गिटट टीम ने कार्यवाही करते हुए सुबहबीर से मिली सूचना के आधार पर मदनपुरा गांव में हिस्ट्रीफार्म अरविन्द्र सिंह पाटिया के फाईल हाउस पर दबीश देकर अरविन्द्रसिंह पाटिया पुत्र भरूसिंह, अंकित पुत्र भंवरलाल लौहार निवासी खेताखेडा, सूर्यप्रतापसिंह पुत्र शिवसिंह निवासी बापुनगर भीलवाड़ा, रमेशसिंह पुत्र नरपतसिंह मेघवाल निवासी केरिया चिललवाना जालौर, कमलेंद्रगिरि पुत्र नक्ष्यात्रिगी गोस्वामी निवासी भीण्डर को गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया।

## चोरी के मामले में बदमाश गिरफ्तार

उदयपुर, (कासं)। कुराबड़ थाना पुलिस ने चोरी के मामले में चार वर्ष से फरार पांच हजार के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। पीडित राकेश जारोली ने रिपोर्ट दी कि मेरी बंबोरा कब्जे में सोने चांदी की दुकान है। 30 दिसंबर 2021 को मैं दुकान बंद घर चला गया। रात में अज्ञात चोर रातला तोड़ कर सोने चांदी के जेवरत चुरा ले गए।

## जिला कलक्टर ने सुनी समस्याएं

डूंगरपुर, (निंसं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर भूमिगत जल स्तर में वृद्धि एवं जल संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने हेतु संचालित वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के अंतर्गत गुरुवार को पंचायत समिति साबला की ग्राम पंचायत पचलासा छोटा में जिला कलक्टर देशलदान की अध्यक्षता में गुरुवार को जल रत्रि चौपाल आयोजित की गई। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पचलासा छोटा परिसर में आयोजित इस चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी परिवेदनाएं लेकर उपस्थित हुए। ग्रामीणों ने एक एक कर अपनी परिवेदनाएं जिला कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत की। जिला कलक्टर ने सभी परिवेदनाओं को आत्मीयता एवं गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों से तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त की तथा नियमानुसार शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए।

चौपाल के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों द्वारा जल संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों एवं योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की। जिला कलक्टर देशलदान ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि जल बचाने और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने का सामूहिक प्रयास है। उन्होंने जल संरक्षण की विभिन्न विधियों, भूमिगत जल स्तर बढ़ाने के उपायों तथा अभियान के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। ग्रामीणों द्वारा नियमित विद्युत आपूर्ति की मांग उठाए जाने पर जिला कलक्टर ने बताया कि क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु 22.0 केवी जीएसएस निर्माण कार्य प्रगति पर है।

## प्राध्यापक भर्ती परीक्षा कल से, 85 केंद्रों पर होगी परीक्षा

उदयपुर, (कासं)। राज. लोक सेवा आयोग की ओर से प्राध्यापक, कृषि प्राध्यापक एवं कोच भर्ती परीक्षा - 2025 का आयोजन 31 मई से 5 जून तक किया जा रहा है। उदयपुर में जिला कलक्टर और अग्रवाल तथा पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन के निदेशन में शांतिपूर्ण एवं पारदर्शिता के साथ परीक्षा संपन्न कराने को लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गईं हैं। जिले में कुल 85 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं,

## बैठक आयोजित

बांसावाड़ा, (निंसं)। श्री त्रिवेदी मेवाडा ब्राह्मण समाज पथोक चोखला कार्यकारी निदेशकों की बैठक बाहुबली कॉलोनी स्थित समाज के छात्रावास में हुई। जिसमें आगामी 21 एवं 22 जून को उदयपुर में प्रस्तावित श्री त्रिवेदी मेवाडा ब्राह्मण समाज के भव्य भूमि पूजन समारोह और विशाल राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर चर्चा करते हुए रूपरेखा तैयार की गयी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय संयोजक भूषेन्द्र पण्ड्या ने समाजजनों से अधिक से अधिक संख्या में उदयपुर में होने वाले इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अधिवेशन में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने का आ प किया। उन्होंने बताया कि आज के आधुनिक युग में, श्री त्रिवेदी मेवाडा ब्राह्मण समाज न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी विशिष्ट पहचान बनाने में सफल हो रहा है। उन्होंने सभी से अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार इस विराट आयोजन को सफल बनाने में अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया ताकि यह समाज की एकजुटता और प्रगति का प्रतीक बन सके।

शुक्रवार को जिला एवं सेशन न्यायाधीश अल्का शर्मा की प्रेरणा निदेशन एवं नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण एवं हरित राजसमंद की दिशा में एक अभिनव प्रयास करते हुए जिला कारागृह राजसमंद के बंदियों द्वारा 21 हजार सीड बॉल्स तैयार किए गए हैं। इन सीड बॉल्स को आगामी मानसून के दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बाँटा जाएगा, जिससे अधिकाधिक वृक्षारोपण एवं हरियाली को बढ़ावा मिल सके।

शुक्रवार को जिला एवं सेशन न्यायाधीश अल्का शर्मा तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एवं एडीजे भारत भूषण पाठक, जिला न्यायालय प्रबंधक दीपक शर्मा ने जिला जेल पहुंचकर इस नवाचार से जुड़ी गतिविधियों का अवलोकन किया। इस दौरान जेलर हेमंत शर्मा ने उन्हें बंदियों

को जिला एवं सेशन न्यायाधीश अल्का शर्मा तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एवं एडीजे भारत भूषण पाठक, जिला न्यायालय प्रबंधक दीपक शर्मा ने जिला जेल पहुंचकर इस नवाचार से जुड़ी गतिविधियों का अवलोकन किया। इस दौरान जेलर हेमंत शर्मा ने उन्हें बंदियों

को जिला एवं सेशन न्यायाधीश अल्का शर्मा तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एवं एडीजे भारत भूषण पाठक, जिला न्यायालय प्रबंधक दीपक शर्मा ने जिला जेल पहुंचकर इस नवाचार से जुड़ी गतिविधियों का अवलोकन किया। इस दौरान जेलर हेमंत शर्मा ने उन्हें बंदियों

को जिला एवं सेशन न्यायाधीश अल्का शर्मा तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एवं एडीजे भारत भूषण पाठक, जिला न्यायालय प्रबंधक दीपक शर्मा ने जिला जेल पहुंचकर इस नवाचार से जुड़ी गतिविधियों का अवलोकन किया। इस दौरान जेलर हेमंत शर्मा ने उन्हें बंदियों

को जिला एवं सेशन न्यायाधीश अल्का शर्मा तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एवं एडीजे भारत भूषण पाठक, जिला न्यायालय प्रबंधक दीपक शर्मा ने जिला जेल पहुंचकर इस नवाचार से जुड़ी गतिविधियों का अवलोकन किया। इस दौरान जेलर हेमंत शर्मा ने उन्हें बंदियों

## जनजाति प्रतिभाएं समाज की धरोहर : मंत्री बाबूलाल खराड़ी

उदयपुर, (कासं)। जनजाति कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा मनाये जा रहे "जनजाति गरिमा उत्सव" के कार्यक्रमों की श्रृंखला में "जनजाति गौरव सम्मान" समारोह शुक्रवार को माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (टीआरआई) में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग मंत्री बाबूलाल खराड़ी के मुख्य आतिथ्य में हुई।

समारोह को संबोधित करते हुए केबिनेट मंत्री खराड़ी ने जनजाति प्रतिभाओं को समाज की धरोहर बताते हुए इनके कार्यों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। खराड़ी ने सम्मानित होने वाले प्रतापगढ़ के संतोष कुमार मीणा व मशरूम उत्पादन को सफल बनाने वाले प्रतापगढ़ के संतोष कुमार मीणा व शलाबिंदू, उदयमता क्षेत्र में प्रतापगढ़ की ममता मीणा, आजीविका क्षेत्र में सिरोही के सोमाराम, उदयपुर के सुरेंद्र मीणा, जनजाति समाज को कुरीतियों व

परम्परागत रूढ़ियों से मुक्त कराने की दिशा में सराहनीय प्रयास हेतु उदयपुर के डॉ. देवीलाल, बांसावाड़ा से रूपजी बारिया, सिरोही से थावरराम गरासिया व डूंगरपुर से मणिपाल देवतार, रकदान हेतु युवाओं को प्रेरित करने हेतु उदयपुर के मुरीलाल खराड़ी तथा शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान तहसीलदार सेवा में चयनित भैराम व कक्षा 12 कला वर्ग में 95 प्रतिशत अंक प्राप्तकर्ता गणेश कटारा तथा विज्ञान वर्ग में 95.40 प्रतिशत अंक प्राप्तकर्ता जितेंद्र निनामा को उपरना ओढ़ाकर एवं प्रशस्ति पत्र भेंटकर सम्मानित किया गया।



उदयपुर के माणिक्यलाल आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान में शुक्रवार को जनजाति गौरव सम्मान समारोह आयोजित किया गया।

परम्परागत रूढ़ियों से मुक्त कराने की दिशा में सराहनीय प्रयास हेतु उदयपुर के डॉ. देवीलाल, बांसावाड़ा से रूपजी बारिया, सिरोही से थावरराम गरासिया व डूंगरपुर से मणिपाल देवतार, रकदान हेतु युवाओं को प्रेरित करने हेतु उदयपुर के मुरीलाल खराड़ी तथा शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान तहसीलदार सेवा में चयनित भैराम व कक्षा 12 कला वर्ग में 95 प्रतिशत अंक प्राप्तकर्ता गणेश कटारा तथा विज्ञान वर्ग में 95.40 प्रतिशत अंक प्राप्तकर्ता जितेंद्र निनामा को उपरना ओढ़ाकर एवं प्रशस्ति पत्र भेंटकर सम्मानित किया गया।

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के छात्रावास निर्माण हेतु भूमि भेंटकर्ता भामाशाह ओम प्रकाश भील को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए टीएडी आयुक्त लक्ष्मीनारायण मंत्री ने जनजाति प्रतिभाओं को मुख्य भाग में लाकर राष्ट्र के विकास में योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा जनजाति समुदाय के कल्याण के लिए किए जा रहे विभागीय प्रयासों की जानकारी दी।

टी.आर.आई. निदेशक ओ.पी. जैन ने "जनजाति गरिमा उत्सव" माह

के दौरान अब तक हुई प्रगति पर प्रकाश डालते हुए "जनजाति गौरव सम्मान" को समाज के सामने लाने का एक मंच बताया। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के आयुक्त लक्ष्मी नारायण मंत्री को सेवानिवृत्ति पर केबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने साफा पहनाकर एवं माल्यार्पण कर सम्मान किया। इसमें संभागीय आयुक्त प्रजा केवलरामानी, टीआरआई निदेशक ओ.पी. जैन, सहायक आयुक्त के.के. खंडेलवाल, जितन गांधी, दीपिका मेघवाल, उपविधि परामर्शी सीमा माहेश्वरी आदि उपस्थित रहे।

## पान केबिन से चोरी करने वाले तीन गिरफ्तार

उदयपुर, (कासं)। शहर के हाथीपोल थाना पुलिस ने पान के केबिनों से चोरी करने की वारदातों को खुलासा करते हुए एक मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से बाईक बरामद की।

प्रकरण के अनुसार करणसिंह निवासी बड़ी ने रिपोर्ट दी कि मेरी

पंचवटी में पान का केबिन है। 9 अप्रैल 26 रात में अज्ञात केबिन बंद कर घर चला गया। दूसरे दिन दुकान पर पहुंचा तो ताले टूटे हुए एवं सामान गायब था। इस मामले में प्रकरण दर्ज होने पर जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा, पुलिस उप अधीक्षक राजेश

यादव के सुपरविजन में हाथीपोल थानाधिकारी राजुदेवी के नेतृत्व में गिटट दल ने मामले का खुलासा करते हुए भेरुलाल पुत्र प्रवीण मीणा व प्रकाश पुत्र सांगा मीणा निवासी पलोदड़ा सलुम्बर तथा अनिल खराड़ी पुत्र मन्नालाल खराड़ी निवासी लराठी को गिरफ्तार किया।

## नकदी हड़पी

उदयपुर, (कासं)। शहर के धानमण्डी थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ उधार दी गई नकदी हड़पने का प्रकरण दर्ज किया।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीडित मुजफ्फर खान पुत्र अहमद खां निवासी छतरी वाला चौक धोलीबाड़ी ने अवाड़ा चौक धोली बावड़ी निवासी खुबीलाल पुत्र गणेशलाल सालवी के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया। जिसमें पीडित ने बताया कि आवश्यकता होने पर आरोपी को 5 लाख रुपये उधार दिए थे। बदले में चैक दिया जो फर्जी था। मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है।

## जिला कारागृह के बंदियों ने तैयार किए 21 हजार सीड बॉल्स

राजसमंद, (निंसं)। जिला एवं सेशन न्यायाधीश अल्का शर्मा की प्रेरणा निदेशन एवं नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण एवं हरित राजसमंद की दिशा में एक अभिनव प्रयास करते हुए जिला कारागृह राजसमंद के बंदियों द्वारा 21 हजार सीड बॉल्स तैयार किए गए हैं। इन सीड बॉल्स को आगामी मानसून के दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बाँटा जाएगा, जिससे अधिकाधिक वृक्षारोपण एवं हरियाली को बढ़ावा मिल सके।

शुक्रवार को जिला एवं सेशन न्यायाधीश अल्का शर्मा तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एवं एडीजे भारत भूषण पाठक, जिला न्यायालय प्रबंधक दीपक शर्मा ने जिला जेल पहुंचकर इस नवाचार से जुड़ी गतिविधियों का अवलोकन किया। इस दौरान जेलर हेमंत शर्मा ने उन्हें बंदियों

■ मानसून में चिह्नित स्थानों पर बिखेरे जाएंगे, बड़ेगी हरियाली

द्वारा तैयार किए गए सीड बॉल्स का निरीक्षण करया तथा पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी।

सीड बॉल्स वृक्षारोपण की एक प्राचीन लेकिन अत्यंत प्रभावी तकनीक है, जिसे सीड बॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। यह विशेष रूप से उन क्षेत्रों में उपयोगी मानी जाती है, जहां मानव पहुंच कठिन होती है। पहाड़ी क्षेत्रों, गहरी खाइयों अथवा पथरीले इलाकों में इन सीड बॉल्स को फेंककर आसानी से वृक्षारोपण किया जा सकता है। बारिश के संपर्क में आते ही इनमें मौजूद बीज अंकुरित होकर पौधों का

## उदयपुर भूमि विकास बैंक में कांग्रेस के नागदा तीसरी बार बने अध्यक्ष

उदयपुर, (कासं)। शुक्रवार को उदयपुर भूमि विकास बैंक के चुनाव को लेकर बड़ा हंगामा हुआ। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव होने के बाद जैसे ही परिणाम की घोषणा करते समय बैंक के चैनल गेट के बाहर भाजपाई और पुलिस आगमने, सामने हो गए और हंगामे के बीच धक्का मुक्की तक हुई।

दोपहर सवा 3 बजे जैसे ही चुनाव अधिकारी ने कांग्रेस समर्थित मधुशेरा नागदा को अध्यक्ष और करण सिंह को निर्विरोध उपाध्यक्ष निर्वाचित किया तो

■ पुलिससिंह भुजपाईयों के बीच हुई धक्का-मुक्की

आपतित पर जवाब मांगा और चुनाव स्थगित करने की बात दोहराई। इस दौरान डीएसपी ने समझाया कि हाईकोर्ट के आदेश और राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार चुनाव कराए जा रहे हैं। इस पर शांनको कोई आपतित हो तो आप उच्च स्तर पर या कोर्ट में अपनी बात रख सकते हैं। इस सद्देशन के बाद भी भाजपाई अहड़े रहे। इस दौरान नरेबाजी कर रहे भाजपाई समर्थक आगे बढ़े तो पुलिस ने रोका लेकिन वे नहींमाने। इस दौरान धक्का मुक्की हो गई। डीएसपी



उदयपुर में भूमि विकास बैंक में हंगामे के बीच कांग्रेस के नागदा तीसरी बार अध्यक्ष बने।

आपतित पर जवाब मांगा और चुनाव स्थगित करने की बात दोहराई। इस दौरान डीएसपी ने समझाया कि हाईकोर्ट के आदेश और राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार चुनाव कराए जा रहे हैं। इस पर शांनको कोई आपतित हो तो आप उच्च स्तर पर या कोर्ट में अपनी बात रख सकते हैं। इस सद्देशन के बाद भी भाजपाई अहड़े रहे। इस दौरान नरेबाजी कर रहे भाजपाई समर्थक आगे बढ़े तो पुलिस ने रोका लेकिन वे नहींमाने। इस दौरान धक्का मुक्की हो गई। डीएसपी

और सीआई के साथ जवानों ने रोका और हंगामे के बीच सबको चैनल गेट वाली सीढ़ियों से नीचे उतारा।

बाद में चुनाव अधिकारी विनोद कोठारी ने परिणाम घोषित किया और जैसे ही निर्वाचित अध्यक्ष मधुशेरा नागदा बाहर आए तो कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनको मालाएं पहनाई और शुभकामनाएं दीं। पूर्व देहात जिलाध्यक्ष लालसिंह झाला और पूर्व मंत्री डा. मंगीलाल गरासिया ने कहा कि ये जीत कांग्रेस की एकता से ही संभव हुई।

क्र. क्रमांक	सूचना संख्या/अर्जा/सहअर्जा/सं. जमानती	1) मांग पत्र की दिनांक	2) मांग राशि मांग पत्र अनुसार	स्वावर संपत्ति का विवरण
1	HLR00000000015833 श्री रमेश चन्द्र मेनारिया पुत्र श्री मोहन लाल मेनारिया (अर्जा) श्रीमति कल्पिता मेनारिया पत्नी श्री रमेश चन्द्र मेनारिया (सह-अर्जा) श्री रामनारायण मेनारिया पुत्र श्री उकार लाल मेनारिया (जमानती)	अप्रैल 09, 2026 मार्च 10, 2026	श्री रमेश चन्द्र मेनारिया पुत्र श्री मोहन लाल मेनारिया की संपत्ति की कि मूद्र नं.-07, आराजी नं.-442, ग्राम-पंचायत-पाराठी ब्राह्मण, धनसाल-बादली, 4,65,900/- अक्षर रूपये चांदी पत्र चन्द्र मेनारिया (सह-अर्जा) के लिए जारी किया जा रहा है। अर्जा/सहअर्जा को इस बात का विचार है कि अर्जा/सहअर्जा/अन्यकर्ता/जमानती द्वारा मांग पत्र की तामिल से क्या जा रहा है, इस कारण उक्त मांग पत्र की तामिल को प्रत्यापित करने हेतु उक्त मांग पत्र के अक्षरों को अक्षरों में प्रकाशित किया जा रहा है। अर्जा/सहअर्जा/अन्यकर्ता को यह सूचना दी जाती है कि वे इस प्रकरण में 60 दिवस के भीतर उक्त मांग पत्र में चर्चा दिनांक तक की राशि व अदापति तक का अदा कर रसीद प्राप्त कर लें। उक्त रकम की प्रतिलिपि आग कंपनी के अधिकारी से प्राप्त करने अनिल्लाह माध्यम से भी क्या करा सकते हैं। अनिल्लाह माध्यम से प्राप्त करने के लिए आग कंपनी को ब्रह्मसट्ट WWW.SRGHOSING.COM पर जाकर अपने डेबिट/क्रेडिट/NEFT/RTGS/पै के माध्यम से करा सकते हैं और समर्थित अधिकारी को इसकी जानकारी प्रदान करें। उक्त रकम का प्रतिवचन करने में असफल रहने पर अर्जा, सहअर्जा, अन्यकर्ता व उक्त जमानतदार को यह सूचना दी जाती है कि अर्जा/सहअर्जा द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन प्रस्तावित मांग पत्र को हटाने हेतु बंधक रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा ली लिया जाएगा एवं अर्जा/सहअर्जा/अन्यकर्ता को प्रवर्तन हेतु उक्त अधिनियम की धारा 14 में बर्णित अधिकारों व अधिनियम के अन्य प्रावधानों का प्रयोग कर सकेंगे। अधिनियम की धारा 13(13) के तहत भी सूचित और आगह किया जाता है की नीचे बर्णित बंधक संपत्ति को प्रेषक कंपनी से लिखित समझौता पत्र किये बंधक किसी अन्य को किसी भी रूप से अंतरित/हस्तान्तरित न करें। अर्जा/सहअर्जा उक्त बंधक रखी गयी सम्पत्ति के उन्मोचन हेतु उक्त मांग पत्र के अक्षरों में उक्त एन्ट की धारा 13(8) की और अर्जा, सहअर्जा, अन्यकर्ता एवं जमानती का ध्यान आकृष्ट कराते हैं।	
2	HLR00000000018534 श्री विकास पाटीदार पुत्र श्री नरेश पाटीदार (अर्जा) श्री नरेश चन्द्र पुत्र श्री नाथू पाटीदार (सह-अर्जा-1) श्रीमती प्रियंला पत्नी श्री नरेश (सह-अर्जा-2) श्री राकेश पाटीदार पुत्र श्री लालजी पाटीदार (जमानती)	1) मांग पत्र की दिनांक- मार्च 10, 2026 2) मांग पत्र में अंकित राशि रु. 6,31,480/- अक्षर रूपये छलावा	श्री नरेश चन्द्र पुत्र श्री नाथू पाटीदार जो कि आराजी सर्वे नं.-1447, ग्राम-मदलता, ग्राम पंचायत-मदलता, तहसील-गढ़ी, जिला-बाँसावाड़ा (राज.) पर स्थित है जिसमें भूमि, धन व 6,31,480/- अक्षर रूपये छलावा	श्री नरेश चन्द्र पुत्र श्री नाथू पाटीदार जो कि आराजी सर्वे नं.-1447, ग्राम-मदलता, ग्राम पंचायत-मदलता, तहसील-गढ़ी, जिला-बाँसावाड़ा (राज.) पर स्थित है जिसमें भूमि, धन व 6,31,480/- अक्षर रूपये छलावा
3	HLR00000000017908 श्री जितेंद्र मेघवाल पुत्र श्री राम लाल यादव (अर्जा) श्रीमती खुशबू यादव पत्नी श्री संजय यादव (सह-अर्जा)	1) मांग पत्र की दिनांक- मार्च 08, 2026 2) मांग पत्र में अंकित राशि रु. 5,87,610/- अक्षर रूपये चांदी पत्र चन्द्र मेनारिया (सह-अर्जा) के लिए जारी किया जा रहा है। अर्जा/सहअर्जा को इस बात का विचार है कि अर्जा/सहअर्जा/अन्यकर्ता/जमानती द्वारा मांग पत्र की तामिल से क्या जा रहा है, इस कारण उक्त मांग पत्र की तामिल को प्रत्यापित करने हेतु उक्त मांग पत्र के अक्षरों को अक्षरों में प्रकाशित किया जा रहा है। अर्जा/सहअर्जा/अन्यकर्ता को यह सूचना दी जाती है कि वे इस प्रकरण में 60 दिवस के भीतर उक्त मांग पत्र में चर्चा दिनांक तक की राशि व अदापति तक का अदा कर रसीद प्राप्त कर लें। उक्त रकम की प्रतिलिपि आग कंपनी के अधिकारी से प्राप्त करने अनिल्लाह माध्यम से भी क्या करा सकते हैं। अनिल्लाह माध्यम से प्राप्त करने के लिए आग कंपनी को ब्रह्मसट्ट WWW.SRGHOSING.COM पर जाकर अपने डेबिट/क्रेडिट/NEFT/RTGS/पै के माध्यम से करा सकते हैं और समर्थित अधिकारी को इसकी जानकारी प्रदान करें। उक्त रकम का प्रतिवचन करने में असफल रहने पर अर्जा, सहअर्जा, अन्यकर्ता व उक्त जमानतदार को यह सूचना दी जाती है कि अर्जा/सहअर्जा द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन प्रस्तावित मांग पत्र को हटाने हेतु बंधक रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा ली लिया जाएगा एवं अर्जा/सहअर्जा/अन्यकर्ता को प्रवर्तन हेतु उक्त अधिनियम की धारा 14 में बर्णित अधिकारों व अधिनियम के अन्य प्रावधानों का प्रयोग कर सकेंगे। अधिनियम की धारा 13(13) के तहत भी सूचित और आगह किया जाता है की नीचे बर्णित बंधक संपत्ति को प्रेषक कंपनी से लिखित समझौता पत्र किये बंधक किसी अन्य को किसी भी रूप से अंतरित/हस्तान्तरित न करें। अर्जा/सहअर्जा उक्त बंधक रखी गयी सम्पत्ति के उन्मोचन हेतु उक्त मांग पत्र के अक्षरों में उक्त एन्ट की धारा 13(8) की और अर्जा, सहअर्जा, अन्यकर्ता एवं जमानती का ध्यान आकृष्ट कराते हैं।		
4	HLR00000000017782 श्री आकाश भाटिया पुत्र श्री ललित भाटिया (अर्जा) श्री ललित कुमार् भाटिया पुत्र श्री पन्ना लाल जी (सह-अर्जा-1) श्रीमति कल्पिता देवी पत्नी श्री ललित कुमार् भाटिया (सह-अर्जा-2) श्री नरेश चन्द्र भाटिया पुत्र श्री कर्नैया लाल भाटिया (जमानती)	1) मांग पत्र की दिनांक- मार्च 07, 2026 2) मांग पत्र में अंकित राशि रु. 9,77,790/- अक्षर रूपये चांदी पत्र चन्द्र मेनारिया (सह-अर्जा) के लिए जारी किया जा रहा है। अर्जा/सहअर्जा को इस बात का विचार है कि अर्जा/सहअर्जा/अन्यकर्ता/जमानती द्वारा मांग पत्र की तामिल से क्या जा रहा है, इस कारण उक्त मांग पत्र की तामिल को प्रत्यापित करने हेतु उक्त मांग पत्र के अक्षरों को अक्षरों में प्रकाशित किया जा रहा है। अर्जा/सहअर्जा/अन्यकर्ता को यह सूचना दी जाती है कि वे इस प्रकरण में 60 दिवस के भीतर उक्त मांग पत्र में चर्चा दिनांक तक की राशि व अदापति तक का अदा कर रसीद प्राप्त कर लें। उक्त रकम की प्रतिलिपि आग कंपनी के अधिकारी से प्राप्त करने अनिल्लाह माध्यम से भी क्या करा सकते हैं। अनिल्लाह माध्यम से प्राप्त करने के लिए आग कंपनी को ब्रह्मसट्ट WWW.SRGHOSING.COM पर जाकर अपने डेबिट/क्रेडिट/NEFT/RTGS/पै के माध्यम से करा सकते हैं और समर्थित अधिकारी को इसकी जानकारी प्रदान करें। उक्त रकम का प्रतिवचन करने में असफल रहने पर अर्जा, सहअर्जा, अन्यकर्ता व उक्त जमानतदार को यह सूचना दी जाती है कि अर्जा/सहअर्जा द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन प्रस्तावित मांग पत्र को हटाने हेतु बंधक रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा ली लिया जाएगा एवं अर्जा/सहअर्जा/अन्यकर्ता को प्रवर्तन हेतु उक्त अधिनियम की धारा 14 में बर्णित अधिकारों व अधिनियम के अन्य प्रावधानों का प्रयोग कर सकेंगे। अधिनियम की धारा 13(13) के तहत भी सूचित और आगह किया जाता है की नीचे बर्णित बंधक संपत्ति को प्रेषक कंपनी से लिखित समझौता पत्र किये बंधक किसी अन्य को किसी भी रूप से अंतरित/हस्तान्तरित न करें। अर्जा/सहअर्जा उक्त बंधक रखी गयी सम्पत्ति के उन्मोचन हेतु उक्त मांग पत्र के अक्षरों में उक्त एन्ट की धारा 13(8) की और अर्जा, सहअर्जा, अन्यकर्ता एवं जमानती का ध्यान आकृष्ट कराते हैं।		

स्थान- राजस्थान प्रकाशन की दिनांक- 30/05/2026

अधिकृत अधिकारी एसआरजी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड